

प्रेषक,

आशीष तिवारी,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल,  
सेक्टर एच अलीगंज विस्तार,  
उ०प्र० लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 31 जनवरी, 2018

विषय :- रामपुर केमरी मार्ग (ओ०डी०आर०-20) किमी० 3.135 की बायी पटरी पर ग्राम-पहाड़ी के गाटा सं०-140 में एस्सार आयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0555 हे० संरक्षित वनभूमि गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 05 वृक्षों के पातन की अनुमति।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय संख्या-08बी/यू.पी. /06/34/2016/एफसी/642 दिनांक 29.11.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय आपत्तियां की गई है। तत्कम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं०-2052/रामपुर/15575/2015, दिनांक 03.01.2018 द्वारा कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचना/अभिलेख भारत सरकार को उपलब्ध कराते हुए शासन को पृष्ठांकित की गयी है।

2- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र दिनांक 03.01.2018 की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

  
(आशीष तिवारी)  
विशेष सचिव।

संख्या-158(1)/14-2-2018-तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(मनोज कुमार सिंह)  
अनु सचिव।